रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2262] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2012/कार्तिक 25, 1934

No. 2262] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2012/KARTIKA 25, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2012

का.आ. 2718(अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि मेघालय की हन्नीवट्रेप नेशनल काउंसिल (जिसे इसमें इसके बाद एच एन एल सी कहा गया है) मेघालय राज्य के उन क्षेत्रों (जहां मुख्यत: खासी और जैंतिया जनजाति के लोग निवास करते हैं) को भारत संघ से अलग करने के अपने उद्देश्य की खुलेआम घोषणा करती रही है;

और यत:, केन्द्रीय सरकार की पुन: राय है कि एच एन एल सी,—

(क) ने मेघालय राज्य को भारत संघ से अलग करने के अपने उद्देश्य की खुलेआम घोषणा कर दी है;

(ख) अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वह सशस्त्र साधनों का प्रयोग करती रही है तथा उनमें लिप्त रही है; और

(ग) अपने संगठन के लिए निधियां एकत्रित करने के उद्देश्य से डराने-धमकाने तथा जबरन धन वसूली की कार्रवाईयों में लिप्त रही है;

और यत: केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि एच एन एल सी,—

(i) अपने संगठन के लिए धन जुटाने हेतु आम जनता को डराने-धमकाने, जबरन धन वसूली करने तथा लूटमार के कृत्यों में संलिप्त रही है;

(ii) जबरन धन वसूली तथा डराने-धमकाने की कार्रवाईयों को अंजाम देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही गुटों के साथ संपर्क बनाए हुए है; और

(iii) अपने काडरों को शरण स्थल मुहैया कराने तथा प्रशिक्षण के प्रयोजन से पड़ोसी देशों में शिविर स्थापित किए हुए हैं;

और अत: केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि उक्त कारणों से एच एन एल सी इसके गुटों, विंगों अथवा प्रमुख संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम है;

और यत: केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि एच एन एल सी की उपर्युक्त गतिविधियाँ भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं और यदि इन पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो उक्त एच एन एल सी पुनर्संगठित होगा, पुन: शस्त्रों से लैस होगा, अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाएगा, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करेगा, नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या करेगा और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को तेज करेगा;

अत:, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच एन एल सी) को इसके सभी गुटों, विंगों और मुख्य संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि एच एन एल सी को इसके सभी गुटों, विंगों और मुख्य संगठनों सहित तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 11011/80/2012-एन ई-V]

शंभु सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2012

S.O. 2718(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the Hynniewtrep National Liberation Council (hereinafter referred to as the HNLC) of Meghalaya has been openly declaring as its objective the secession of the areas in the State of Meghalaya (largely inhabited by Khasi and Jaintia tribals) from the Indian Union;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that the HNLC,—

(a) has openly declared as their objective the secession of the State of Meghalaya from the Indian Union;

(b) has been employing and engaging in armed means to achieve their objective; and

(c) has been indulging in acts of intimidation and extortion for collection of funds for their organization;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that HNLC has been,—

(i) indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organization;

(ii) maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern Region for carrying out acts of extortion and intimidation;

(iii) maintaining camps in neighbouring country for the purpose of sanctuary and training of their cadres.

And whereas, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the HNLC together with its factions, wings or front organizations, is an unlawful association;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that the aforesaid activities of the HNLC are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the said HNLC would regroup and rearm itself, expand its cadres, procure sophisticated weapons, cause loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate its anti-national activities;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby declares the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) along with all its factions, wings and front organizations as unlawful association;

The Central Government is of further opinion that it is necessary to declare the HNLC along with all its factions, wings and front organizations as unlawful associations with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/80/2012-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.